राजस्थान में नया टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों?

एक **विशेषज्ञ समिति ने कुंभलगढ़-टॉडगढ़ रावली अभयारण्य को** बाघ अभयारण्य घोषित करने से पहले **तत्काल आवास संरक्षण और शिकार आधार विकास की सलाह दी।**

- केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने **अगस्त 2023 में सैद्धांतिक मंजूरी** दे दी है। समिति जैवविविधता की सुरक्षा के लिये कोर और बफर क्षेत्रों को परिभाषित करना जारी रखेगी।

//

प्रमुख बिंदु

- **समिति की सिफारिशें:**
  - **आवास सीमाएँ:**
    - **वर्तमान क्षेत्र में बाघों की स्थायी आबादी को सहारा देने की क्षमता का अभाव** है। रिपोर्ट में प्रस्तावित रिज़र्व में और अधिक क्षेत्र जोड़ने का सुझाव दिया गया है।
  - **गाँवों का स्थानांतरण:**
    - **प्रस्तावित रिज़र्व क्षेत्र के भीतर विरल आबादी वाले गाँवों** के लिये एक रणनीतिक, स्वैच्छिक **पुनर्वास योजना की सिफारिश** की जाती है, ताकि स्थायी पुनर्वास के माध्यम से अप्रभावित आवासों को सुरक्षित किया जा सके एवं ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।
  - **आक्रामक प्रजातियों पर नियंत्रण:**
    - जंगली शाकाहारी जानवरों के लिये उपयुक्त आवासों को बहाल करने और जैवविविधता को बढ़ावा देने के लिये आक्रामक खरपतवारों

को हटाना एवं देशी, स्वादिष्ट घासों को लगाना आवश्यक है।

- **शिकार आधार विकास:**
    - **शिकार की उपलब्धता बढ़ाने** के लिये 1,000-2,000 [चित्तीदार हिरणों (चीतल)](https://www.drishtiias.com/hindi/) को स्थानांतरित करने की सिफारिश की जाती है, जिससे शिकारियों की आबादी को लाभ होगा।
- **अवैध शिकार निरोधक एवं बुनियादी ढाँचा:**
    - [अवैध शिकार](https://www.drishtiias.com/hindi/) विरोधी उपायों, वायरलेस संचार और गश्ती सड़कों को मज़बूत करना आवश्यक है।
- **भौगोलिक क्षेत्र:**
    - कुंभलगढ़ टाइगर रिज़र्व राजस्थान के **राजसमंद, उदयपुर, पाली, अजमेर और सिरोही ज़िलों में लगभग 1,397 वर्ग किलोमीटर** में फैला होगा।

चित्तीदार हिरण (चीतल)

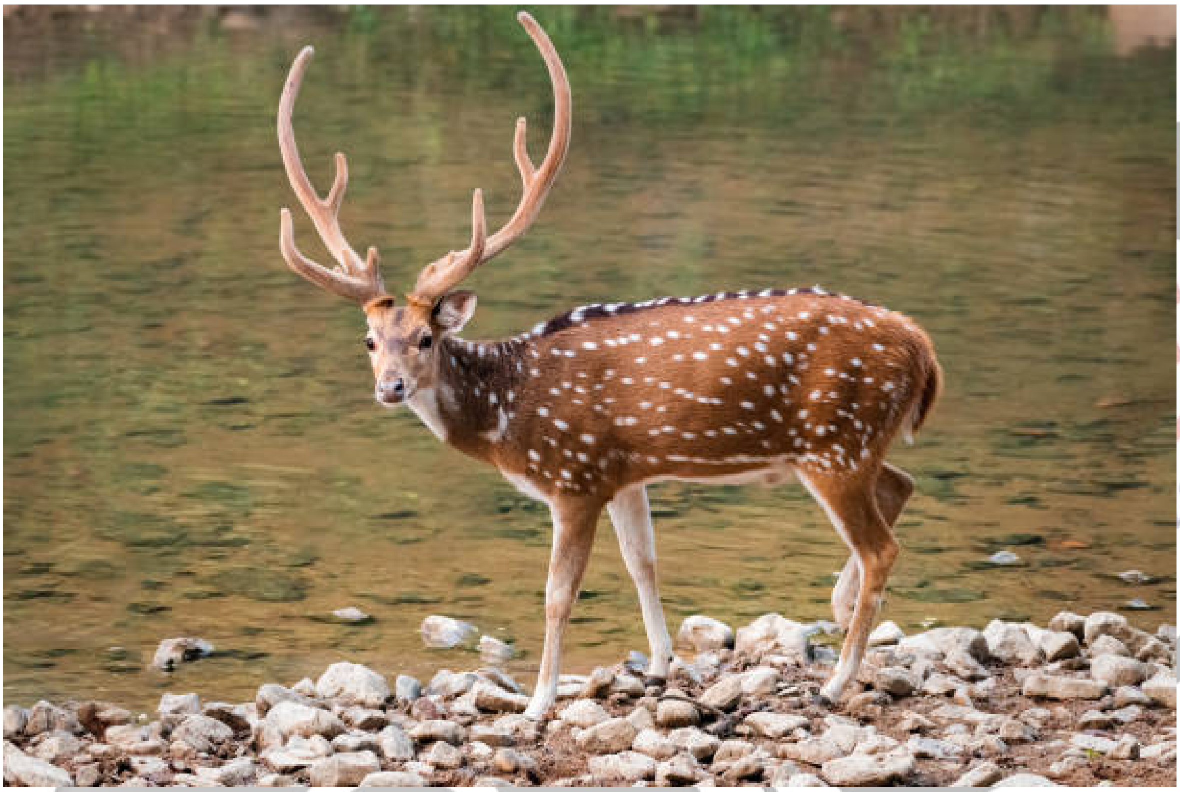

- चीतल, जिसे **चित्तीदार हिरण या एक्सिस डियर** के नाम से भी जाना जाता है, एक सुंदर और आकर्षक शाकाहारी प्राणी है जो **भारत और श्रीलंका** के घास के मैदानों और जंगलों का मूल निवासी है।
- वे खुले घास के मैदान, सवाना और हल्के वन क्षेत्रों को पसंद करते हैं।
    - **[IUCN रेड लिस्ट](https://www.drishtiias.com/hindi/) : लीस्ट कंसर्न (LC)**
    - **[वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972](https://www.drishtiias.com/hindi/) : अनुसूची II**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-tiger-reserve-in-rajasthan